भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्याः * 311
जिसका उत्तर 10-12-2019 को दिया जाएगा

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें

***311. श्री राहुल रमेश शेवालेः**
श्री भर्तृहरि महताबः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो खाद्य वस्तु-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या सरकार ने मूल्य स्थिरता कोष की कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कोष की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा ग्राहकों और किसानों को इससे क्या लाभ मिलेंगे;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि में जमाखोरों/कालाबाज़ारियों की भूमिका सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आम आदमी के हित की रक्षा करने के लिए आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने/कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री राम विलास पासवान)

(क)से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें' के सम्बन्ध में दिनांक 10-12-2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *311 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क): चालू वर्ष के दौरान 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के अखिल भारत मासिक औसत खुदरा मूल्य **अनुलग्नक** में दर्शाए गए हैं। खाद्य वस्तुओं के मूल्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मांग और आपूर्ति में असमानता, मौसम की विपरीत परिस्थितियों तथा सीजनेलिटी के कारण उत्पादन में कमी, परिवहन की लागतों में वृद्धि, भंडारण सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव, जमाखोरों तथा काला बाजारियों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम कमी जैसी आपूर्ति श्रृंखला दबावों से प्रभावित होते हैं।

(ख): जी हां, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी एस एफ) के प्रचालन संबंधी दिशानिर्देश अनुमोदित कर दिए गए हैं और ये https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/file-uploads/price monitoring/PSF%20Opeational%20Guidellines%20DOCA 0.pdf. लिंक पर उपलब्ध हैं।

कोष की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. आलू, प्याज और दालों में हस्तक्षेप के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग।

ii. मूल्य हस्तक्षेप के लिए कम उपलब्धता वाले समय के दौरान कैलिब्रेटेड रिलीज के लिए कार्यनीतिक बफर बनाए रखना जिसके लिए किसान/ किसान संघों से फार्म गेट/ मंडी में खरीदारी की जाती है।

iii. उचित मूल्य पर पर्याप्त बफर बनाने के लिए किसानों/ थोक मंडियों से घरेलू खरीदारी के अतिरिक्त पी एस एफ के अंतर्गत आयात भी किए जा सकते हैं।

iv. आलू, प्याज और दालों के मूल्य में अस्थिरता आने पर बाजार हस्तक्षेप ऑपरेशन शुरू करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/ एजेंसियों को ब्याजमुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना।

पी एस एफ के अंतर्गत दालों और प्याज का बफर स्टॉक तैयार करने और उसमें से कैलिब्रेटेड रिलीज करने से उपभोक्ताओं के लिए उनके मूल्यों में नरमी लाने तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने में भी मदद मिली है।

(ग): दिनांक 03.09.2019 को आयोजित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों से जुड़े मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक (एन सी एम) में राज्यों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं, खासतौर से दालों और प्याज की कीमतों की समीक्षा करने के लिए इन वस्तुओं के व्यापारियों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करने की सलाह दी गई ताकि आवश्यक होने पर हस्तक्षेप किया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अतर्गत उत्पादन, आपूर्ति, भंडार, मूल्य, परिवहन संचलन आदि को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार को दी गई शक्तियां, राज्यों/ संघ राज्यों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तय की गई स्टॉक सीमा को कारगर ढ़ंग से लागू करने की भी सलाह दी है। उन्हें प्याज के बेईमान व्यापारियों द्वारा की जाने वाली जमाखोरी के विरूद्ध कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई है ताकि प्याज के मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। प्रवर्तन करने संबंधी यह कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हाथ में है।

(घ): आवश्यक वस्तु अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों द्वारा मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसमें की गई छापेमारी/ निरीक्षण की संख्या, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या, नजरबंदी आदेश जब्त किए गए सामान के मूल्य संबंधी आंकड़े शामिल होते हैं, के अतिरिक्त विभाग को कुछ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से समय-समय पर इनपुट प्राप्त हुए। उचित कार्रवाई करने के लिए इन इनपुट को केंद्र सरकार की संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों तथा राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है।

(ङ): सरकार, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उपलब्धता को विनियमित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापारिक और राजकोषीय नीति का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना; स्टॉक सीमाएं लगाना और राज्यों को जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का परामर्श देना शामिल है। साथ ही, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है और ऐसी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बागवानी के समेकित विकास के लिए मिशन (एम आई डी एच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम), तिलहनों और पॉम तेल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन (एन एम ओ ओ पी) आदि शामिल हैं ताकि उपयुक्त हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, सरकार दालों, प्याज और आलू जैसी कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायता देने हेतु मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी एस एफ) का कार्यान्वयन भी कर रही है। सरकार ने दिनांक 29.09.19 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और प्याज के व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमाएं लगाई है। सरकार ने, उपलब्धता बढ़ाने तथा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए प्याज के आयात/ खरीदारी करने को अनुमोदन दिया है।

*****

अनुलग्नक

'आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें' के सम्बन्ध में दिनांक 10-12-2019 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *311 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगरानी की जाने वाली 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की वर्ष 2019 के दौरान मासिक औसत खुदरा कीमतें

इकाई: ₹/किग्रा

केंद्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवंबर	दिसम्बर (03.12.2019 तक)
चावल	30.09	30.34	30.35	30.41	30.86	31.54	31.68	32.04	32.38	33.11	33.63	33.7
गेहूं	25.59	26.22	26.27	25.98	26.14	26.43	26.58	26.95	27.03	28.12	28.26	28.24
आटा (गेहूं)	27.39	27.78	27.82	27.68	27.81	27.91	27.9	28.38	28.42	29.41	29.78	29.82
चना दाल	66.43	66.54	65.14	64.83	65.64	66.16	66.14	65.9	65.59	66.25	67.06	67.13
तूर दाल	72.84	74.63	74.89	75.65	79.22	83.22	84.1	85.13	85.94	86.57	88.46	88.5
उड़द दाल	71.83	72.2	71.8	71.76	72.38	75.2	74.77	74.91	74.75	78.42	91.4	95.25
मूंग दाल	75.75	76.59	76.35	76.55	78.75	81.92	81.7	82.33	83.44	84.64	88.15	89.59
मसूर दाल	61.81	62.76	62.73	61.99	61.87	62.6	62.8	62.71	62.83	63.26	64.67	64.97
मूंगफली का तेल (पैकबंद)	126.17	126.85	127.24	126.6	127.95	129.05	129.74	130.29	131.3	133.96	134.66	134.68
सरसों का तेल (पैकबंद)	108.35	109.41	108.81	108.3	108.52	109.15	109.53	108.64	109.65	111.19	112.52	112.59
वनस्पति तेल (पैकबंद)	80.56	81.22	80.84	80.53	80.25	79.64	79.25	79.36	79.64	80	81.34	81.59
सोया तेल (पैकबंद)	91.21	91.64	92.08	91.84	92.23	92.31	92.06	92.01	92.57	92.51	93.15	92.62
सूरजमुखी तेल (पैकबंद)	98.14	98.3	98.56	98.75	99.31	99.32	99.52	99.59	100.9	101.25	101.72	101.72
पॉम ऑयल (पैकबंद)	75.8	76.39	76	75.02	75.27	74.72	74.61	75.02	76.05	75.92	78.32	80.37
आलू	16.93	16.13	15.35	15.96	16.98	18.2	19.09	19.03	18.9	20.57	22.83	23.34
प्याज	18.03	16.48	15.87	16.25	16.96	19.04	21.11	24.82	38.3	47.02	61.08	81.9
टमाटर	22.98	19.95	21.84	25.89	32.57	35.89	37.31	38.71	31.2	38.59	38.38	33.27
चीनी	38.25	38.13	38.14	37.96	38.34	38.59	38.56	38.68	39.16	39.41	39.5	39.39
गुड़	42.39	42.39	42.78	42.72	43.41	44.42	44.03	44.56	45.17	46.16	46.8	47
दूध @	42.68	42.76	43.38	43.24	43.47	43.27	43.41	43.5	44.47	44.87	44.97	44.92
खुली चाय	208.22	208.26	209.48	211.3	212.26	213.02	212.19	212.45	213.64	215.25	216.89	217.2
नमक	15.46	15.29	15.3	15.35	15.28	15.38	15.31	15.4	15.48	15.43	15.52	15.55

@ --> दूध की कीमतें- ₹प्रति लीटर

स्रोत: - राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग; विकसित:- : राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा